फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिक राय (दौसा)

रामकिशोर बनाम हरिप्रसाद वगै

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु.न. 04 / 2025

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17.01.2025	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर एड0 द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एकपक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर यह पाया कि प्राईमा फैसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा मानपुर तहसील सिकराय जिला दौसा में खसरा नम्बर 544, 826, 827, 86, 87 में आगामी पेशी तक उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी हो।। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 10.02.2025 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	
10/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O सा राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनाँक 11/2/25 को पेश हो	
11/2/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप० प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रा०पत्र नॉटप्रेस कर खारिज किये जाने का निवेदन किया/अतः प्रा०पत्र अस्थाई निषे० खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा हो/ पत्रावली नम्बर से कम हो उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	Note press (किया) [illegible]